पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़

(छ0ग0 अधिनियम क्र0 21/2008 द्वारा स्थापित)

दूरभाष/फैक्स: 0771-2263234, ई-मेल: healthuniversitycg@yahoo.com I, वेबसाइट-www.cghealthuniv.com

क्रमांक/F-312/NS-04/सा.प्रशा/ DUHS/2018/2220 रायपुर, दिनांक- 03-05-18

पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय में रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति हेतु विज्ञापन

छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन का आदेश कं. एफ 3-36/2017 /नौ/55-4 दिनांक 27 जुलाई 2017 के परिपेक्ष्य में पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ रायपुर की सेवा भर्ती नियम 2015 के प्रावधान अनुसार पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ रायपुर के **रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते है।**

क.	पद का नाम	वेतनमान (छठवां वेतनमान)	पद संख्या	आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि	
				प्रारंभ	अंतिम तिथि
1.	कक्ष अधिकारी	9300-34800 +4400	01	05.05.2018	20.05.2018
2.	कार्यालय अधीक्षक	9300-34800 +4200	02	05.05.2018	20.05.2018
3.	कार्यालय सहायक वर्ग - 01	5200-20200 + 2800	03	05.05.2018	20.05.2018
4.	कार्यालय सहायक वर्ग - 02	5200-20200 + 2400	05	05.05.2018	20.05.2018

टीप -
1. पदों की संख्या परिवर्तनीय है।
2. आवेदन पत्र केवल ऑनलाईन (Online) ही स्वीकार किये जायेगें।
3. अंतिम तिथि के पश्चात कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
4. प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
5. रिक्त पदों से संबंधित विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय के वेबसाइट www.cghealthuniv.com पर उपलब्ध है।

कुलसचिव
पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान
एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ, रायपुर

दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़

उपरवारा, नया रायपुर, सेक्टर–40, छ.ग. 493661

(छ0ग0 अधिनियम क्र0 21/2008 द्वारा स्थापित)

दूरभाष/फैक्स: 0771–2263234

ई–मेल: healthuniversitycg@yahoo.com

वेबसाइट–www.cghealthuniv.com

क्रमांक/F-312/NS-04/सा.प्रशा/DUHS/2018/2221 रायपुर, दिनांक– 03-05-18

पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय में रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति हेतु विज्ञापन

छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन का आदेश क्र. एफ 3–36/2017 /नौ/55–4 दिनांक 27 जुलाई 2017 के परिपेक्ष्य में पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ रायपुर की सेवा भर्ती नियम 2015 के प्रावधान अनुसार पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ रायपुर के **रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते है।**

क्र.	पद का नाम	वेतनमान (छठवां वेतनमान)	पद संख्या	शैक्षणिक योग्यता	आयु सीमा वर्षो में
1.	कक्ष अधिकारी	9300–34800 +4400	01	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नाकोत्तर उपाधि 2. कार्यालय अधीक्षक/समकक्ष पद पर 5 वर्ष का कार्य अनुभव।	18 से 40
2.	कार्यालय अधीक्षक	9300–34800 +4200	02	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि 2. शासकीय संस्थान में कार्यालय सहायक– 1 का 5 वर्ष का कार्य अनुभव।	18 से 40
3.	कार्यालय सहायक वर्ग – 01	5200–20200 + 2800	03	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि 2. शासकीय संस्थान में कार्यालय सहायक वर्ग–02 का 5 वर्ष का कार्य अनुभव।	18 से 40
4.	कार्यालय सहायक वर्ग – 02	5200–20200 + 2400	05	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि 2. शासकीय संस्थान में कार्यालय सहायक वर्ग–03 का 5 वर्ष का कार्य अनुभव।	18 से 35

कुलसचिव

पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, रायपुर

पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़

(छ०ग० अधिनियम क्र० 21/2008 द्वारा स्थापित)

दूरभाष/फैक्स: 0771-2263234, ई-मेल: healthuniversitycg@yahoo.com |, वेबसाइट-www.cghealthuniv.com

क्रमांक/F-312/NS-04/सा.प्रशा/ DUHS/2018/2214 रायपुर, दिनांक-03-05-18

पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय में रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति हेतु विज्ञापन

छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन का आदेश कं. एफ 3-36/2017 /नौ/55-4 दिनांक 27 जुलाई 2017 के परिपेक्ष्य में पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ रायपुर की सेवा भर्ती नियम 2015 के प्रावधान अनुसार पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ रायपुर के **रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते है।**

क.	पद का नाम	वेतनमान (छठवां वेतनमान)	पद संख्या	आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि	
				प्रारंभ	अंतिम तिथि
1.	कुलपति के सचिव	9300-34800 +4300	01	05.05.2018	20.05.2018
2.	कुलसचिव के निज सहायक	9300-34800 +4200	01	05.05.2018	20.05.2018

टीप -
1. पदों की संख्या परिवर्तनीय है।
2. आवेदन पत्र केवल ऑनलाईन (Online) ही स्वीकार किये जायेगें।
3. अंतिम तिथि के पश्चात कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
4. प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
5. रिक्त पदों से संबंधित विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय के वेबसाइट www.cghealthuniv.com पर उपलब्ध है।

कुलसचिव
पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान
एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, रायपुर

पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़

(छ०ग० अधिनियम क्र० 21/2008 द्वारा स्थापित)

दूरभाष/फैक्स: 0771–2263234, ई–मेल healthuniversitycg@yahoo.com | वेबसाइट– www.cghealthuniv.com

क्रमांक/F-312/NS-04/सा.प्रशा/ DUHS/2018/2215 रायपुर, दिनांक–03-05-18

पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय में रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति हेतु विज्ञापन

छत्तीसगढ शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन का आदेश क्रं. एफ 3–36/2017 /नौ/55–4 दिनांक 27 जुलाई 2017 के परिपेक्ष्य में पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ रायपुर की सेवा भर्ती नियम 2015 के प्रावधान अनुसार पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ रायपुर के **रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते है।**

क्र.	पद का नाम	वेतनमान (छठवां वेतनमान)	पद संख्या	शैक्षणिक योग्यता	आयु सीमा वर्षो में
1.	कुलपति के सचिव	9300–34800 +4300	अनारक्षित – 01	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि 2. शासकीय संस्थान में अनुभाग अधिकारी के पद पर 5 वर्ष का कार्य अनुभव 3. मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर एप्लिकेशन में डिप्लोमा/डिग्री।	18 से 38
2.	कुलसचिव के निज सहायक	9300–34800 +4200	अनारक्षित – 01	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि 2. शासकीय संस्थान में अनुभाग अधिकारी के पद पर 5 वर्ष का कार्य अनुभव 3. मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्युटर एप्लिकेशन में डिप्लोमा/डिग्री	18 से 37

कुलसचिव
पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान
एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ, रायपुर

(5)

पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़

उपरवारा, नया रायपुर, सेक्टर–40, छ.ग. 493661

(छ0ग0 अधिनियम क्र0 21/2008 द्वारा स्थापित)

दूरभाष/फैक्स: 0771–2263234
ई–मेल: healthuniversitycg@yahoo.com
वेबसाइट– www.cghealthuniv.com

क्रमांक/F-301/N.S.-06/सा.प्रशा./ DUHS/2018/2209 रायपुर, दिनांक–03-05-18

पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय में रिक्त पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्ति हेतु विज्ञापन

छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भवन का आदेश क्र एफ 3–36/2017/नौ/55–4 दिनांक 27 जुलाई 2017 के परिपेक्ष्य में पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ रायपुर की सेवा भर्ती नियम 2015 के प्रावधान अनुसार रिक्त पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है :–

क्र.	पद का नाम	वेतनमान (छटवा वेतनमान)	पद संख्या	शैक्षणिक योग्यता	आयु सीमा वर्षो में
1.	सहायक ग्रंथपाल	15600–39100+ 5400	अनारक्षित – 01	1. हायर सेकेन्डरी/10+2 बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त वि वविद्यालय से लाइब्रेरी साइंस में स्नाकोत्तर उपाधि एवं कंम्प्यूटर साईस मे पत्रोपाधि/उपाधि।	18 से 35

सीधी भर्ती की पात्रता की शर्ते –

आयु : – (क) आयु का निर्धारण 01/01/2018 के अनुसार किया जावेगा।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का हो तो उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक छूट दी जाएगी ।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम 1997 के नियम 4 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों की उच्चतर आयु–सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध मे भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों या रह चुके हो, उच्चतर आयु सीमा में नीचे दी गई सीमा तक तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जाएगी :–

(i) ऐसा अभ्यर्थी जो स्थायी शासकीय सेवक हो, उसकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ii) ऐसे अभ्यर्थी को, जो छंटनी किया गया शासकीय सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओ का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात जाएगा परंतु इसके परिणाम स्वरूप प्राप्त आयु उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण : – शब्द "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" ऐसे व्यक्ति का द्योतक है जो इस राज्य का या किसी भी संघटक ईकाईयों के अस्थायी शासकीय सेवा/वि वविद्यालय सेवा 6 मास तक रहा हो।

(iii) ऐसे अभ्यर्थी को जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किन्तु इसके परिणाम स्वरुप प्राप्त आयु उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण : – शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः मास की निरंतर कालावधि तक नियोजित रहा हो तथा किसी भी रोजगार कार्यालय मे अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने की या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक

तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता ईकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रुप से कमी किए जाने के कारण जिसकी छटनी की गई हो अथवा जो अधिशिष्ट(सरप्लस) घोषित किया गया हो :–

(i) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें समय पूर्व सेवा निवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन सेवोन्मुक्त किया गया हो ।

(ii) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो दूसरी बार भरती किए गये हो और

(क) अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर

(ख) भरती संबंधी शर्तों के पूर्ण हो जाने पर सेवोमुक्त कर दिया गया हो।

(iii) ऐसे कर्मचारी (सैनिक तथा असैनिक) जो उनकी संविदा की पूर्ण होने पर सेवोन्मुक्त किए गए हों, जिसमें अल्पावधि सेवा के नियमित कनीशन प्राप्त कर्मचारी सम्मिलित हैं ।

(iv) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हे संविदा अवधि समाप्त होने के कारण सेवानुमुक्त किया गया हो।

(v) ऐसे कर्मचारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर 6 माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के बाद सेवोन्मुक्त किया गया हो ।

(vi) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो ।

(vii) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक बनने योग्य नहीं है,

(viii) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लगने से घाव आदि के कारण चिकित्सकीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(च) अर्तंजातीय विवाह प्रोत्साहन स्कीग के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नी के मामले में उच्चतम आयु सीमा मे अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(छ) शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार धारक अभ्यर्थियों के लिये उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक ि ाथिलनीय होगी ।

(ज) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ राज्य/निगम/मंडल के कर्मचारी हैं उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 38 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(झ) स्वयं सेवी नगर सैनिक (वालेन्टरी होमगार्ड्स) तथा नगर सैनिकों के नॉन कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा में उनके द्वारा की गई सेवा की कालावधि के लिए, 8 वर्ष तक की सीमा के अध्यधीन रहते हुए, छूट दी जाएगी किन्तु किसी भी मामले में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

टिप्पणी :–

(1) उपयुक्त उपनियम (1) के खण्ड (घ) के उपबंध तथा (दो) में उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन के योग्य माना गया हो यदि वे आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् चयन के पहले अथवा बाद में सेवा से त्यागपत्र दे दे तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे तथापि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् उनकी सेवा या पद से छंटनी की जाए तो भी वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे ।

(2) किसी अन्य मामले में इन आयु सीमाओं को शिथिल नहीं किया जाएगा ।

(3)विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए उपस्थित होने हेतु नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करनी होगी।

(तीन) फीसः उसे विश्वविद्यालय द्वारा विहित फीस का भुगतान ऑन लाइन करना होगा।

अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा :–

परीक्षा के लिए अभ्यर्थी का चयन/प्रवेश की पात्रता या अपात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी ऐसे अभ्यर्थी को जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है, साक्षात्कार/परीक्षा में प्रवेश के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा ।

चयन/प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती :–

(1) **प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्तीः**–नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन समिति के माध्यम से किया जावेगा।

(i) सेवा में भरती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे अंतरालों से ली जावेगी जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी समय–समय पर अवधारित करें ।

(ii) लिखित परीक्षा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर, जारी किये गये आदेशों के अनुसार चयन समिति द्वारा ली जायेगी ।

(iii) लिखित प्रतियोगी मेरिट सूची के आधार पर पर्याप्त संख्या में अर्हकारी अभ्यार्थियों को कौ ।ल परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा।

(iv) लिखित एवं कौ ाल परीक्षा की मेरिट सूची के आधार पर चयन सूची तैयार कर चयनित अभ्यार्थियों की नियुक्ति की जायेगी।

(2) **चयन द्वारा भर्तीः**–

(अ) सेवा में भर्ती के लिए चयन ऐसे अंतरालों से किया जायेगा जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी समय–समय पर अवधारित करे ।

(ब) चयन समिति द्वारा सेवा में अभ्यर्थियों का चयन उनके साक्षात्कार द्वारा किया जायेगा, और

(स) चयन समिति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर गठित की जायेगी ।

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के व्यक्तियों के लिए सीधी भरती के प्रक्रम पर पदों को छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन 1994) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार आरक्षित किया जायेगा ।

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय उन अभ्यर्थियों की जो अनुसूचित जातियों, अनूसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य हैं नियुक्ति पर विचार उसी कम में किया जायेगा जिस कम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षित रैंक कुछ भी क्यों न हो ।

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के उन अभ्यर्थियों को जिन्हें नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए योग्य घोषित किया गया हो, यथास्थिति, अनसुचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तयों पर नियुक्त किया जा सकेगा ।

(6) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम 1997 के उपबंधों के अनुसार सीधी भरती के प्रकम में 30 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे जायेगे ।

(7) ऐसे मामलों में जहॉ सीधी भरती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और सक्षम अधिकारी की राय में यह पाया जाये कि अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है वहॉ सक्षम प्राधिकारी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों के बारे में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा ।

(8) शारीरिक रूप से नि: ाक्त अभ्यार्थियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशो के अनुसार आरक्षण रहेगा ।

चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गये अभ्यर्थियों की सूची :–

(1) नियुंक्ति प्राधिकारी उन अभ्यर्थियों की योग्यता के कम में एक सूची जो ऐसे स्तर से अर्हित हो, जैसा कि चयन समिति अवधारित करे तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के उन अभ्यर्थियों की सूची जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है फिर भी प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक ध्यान रखते हुए चयन समिति द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किये गये हैं, तैयार करेगा, सूची को सर्वसाधारण की जानकारी के लिये भी प्रकाशित की जायेगी ।

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़, सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए उसी कम में विचार किया जायेगा जिसमें कि उनके नाम सूची में आये हैं ।

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम शामिल किये जाने से ही उसे तब तक नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जॉच करने के पश्चात् जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान नहीं हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है ।

(4) भ्ाासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्दे ाो का पालन किया जावेगा।

परिवीक्षा / परीक्षणः–सेवा में भरती किए गए प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा परीक्षण पर नियुक्त किया जाएगा ।

निर्वचन :– यदि इन नियमों में निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो विश्वविद्यालय का विनिश्चय अंतिम होगा।

व्यावृत्ति :– इन नियमों में की कोई भी बात अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य शासन द्वारा इस संबंध में, समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य रियायतों का उपबंध किये जाने को प्रभावित नहीं करेगी ।

विवादों का निराकरण :–

(1) सेवा संबंधी विवाद होने की स्थिति में पीड़ित पक्षकार कुलपति के समक्ष आवेदन करेगा। जिसे कुलपति एकसदस्यीय अभिकरण को अग्रेषित करेगा।

(2) अभिकरण का दायित्व होगा कि वह पत्र प्राप्ति के तीन माह के अन्दर अपना निर्णय देवें। परन्तु पीड़ित पक्ष द्वारा लिए गए अतिरिक्त समय को तीन माह की अवधि में नहीं गिना जावेगा। वि षेष परिस्थितियों में कुलपति समय–सीमा को एक बार बढ़ा सकेगा। अधिकरण का निर्णय सभी पक्षों पर बंधनकारी होगा।

कुलसचिव